ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

वर्तमान विश्व में महिलाओं के प्रति अत्याचार

Atrocities Against Women in the Present World

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance: 23/10/2021, Date of Publication: 25/10/2021

माया जाखड़
सहायक आचार्य
इतिहास विभाग
श्री बलदेवराम मिर्धा
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय नागौर,
राजस्थान, भारत

लाखा राम
सहायक आचार्य,
रसायन शास्त्र विभाग,
श्री बलदेवराम मिर्धा
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय नागौर,
राजस्थान, भारत

सहीराम बिश्नोई
सहायक आचार्य,
रसायन शास्त्र विभाग,
श्री बलदेवराम मिर्धा
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय नागौर,
राजस्थान, भारत

सारांश

आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओ के प्रति अत्याचार आज विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। दुनिया के कोने-कोने से हर दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएँ उजागर होती रहती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे प्रमुख कारण पुरूष प्रधान समाज है, इसके साथ अन्य पूरक कारणों से भी महिला को आये दिन अत्याचार झेलने पड़ते है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार के आंकड़े समय-समय पर यूएन वीमेन, ॅभ्व् व अन्य वैश्विक रिपोर्ट में प्रकाशित होते हैं। भारत में छब्ल्ठ प्रतिवर्ष महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधो का विस्तृत ब्यौरा जारी करता है।

आंकड़ो के मुताबिक विश्वभर में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों में साल दर साल इजाफा हो रहा है। इसमें कमी लाने के लिए नियम कायदे और कानून ऊँट के मुँह में जीरा साबित हो रहे है। सिर्फ कानून बनाने से अपराधो में कमी नहीं आएगी वरन लोगो की सोच और मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है।

Atrocities against women, who are said to be half the population, have become a worldwide problem today. Incidents of atrocities against women are being exposed every day from every corner of the world. The main reason for violence against women is the male dominated society, along with other complementary reasons, women have to face atrocities every day.

The statistics of atrocities against women are published from time to time in UN Women, BHAV and other global reports. In India, the sixth yearly releases a detailed account of crimes against women.

According to statistics, atrocities against women are increasing every year in the world. To bring down this, rules and regulations are proving to be cumin in the camel's mouth. Only making laws will not reduce crimes, but it is necessary to bring a change in the thinking and mindset of the people.

मुख्य शब्दः महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, कारण, भारत के संदर्भ में, रोकथाम के उपाय, अपराध, गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, दहेज हत्या, अपहरण

Violence against women, causes, with reference to India, preventive measures, crime, gang rape, rape, murder, dowry death, kidnapping

प्रस्तावना

समूचे विश्व में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा व्यापक रूप से विद्यमान है और यह मानवाधिकार हनन का सबसे भयावह रूप बनकर उभरा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। नारियों के प्रति होने वाले विभिन्न अपराध जैसे गैंगरेप, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, एसिड हमले, अपहरण, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों की खरीद-फरोख्त पूरी दुनिया की महिलाओं से दो-दो हाथ कर रही है।

"अत्याचार प्रतिदिन बढ़ रहे है सृष्टि में
नारियां कहाँ सुरक्षित है समाज की दृष्टि में।"

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों पर दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे कि भारत ही नहीं वरन् विश्व के लगभग समस्त समाजों में पुरूषों की प्रधानता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था पायी जाती है और पुरूष प्रधान समाज अपनी श्रेष्ठता एवं शक्ति को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। विश्वभर की अधिकांश स्त्रियां अभी भी आर्थिक रूप से जन्म से वृद्धावस्था तक जीवन पर्यन्त घर के किसी पुरूष सदस्य पर निर्भर रहती है अतः अपने प्रति हो रहे अत्याचारों को घर की चारदीवारी से बाहर नहीं आने देती। संचार माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, फिल्म जगत, इन्टरनेट इत्यादि द्वारा नारी की विकृत छवि प्रस्तुत करना भी महिला के प्रति हिंसा का प्रमुख कारण बन कर उभरा है।

संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में लगभग 15 मिलियन किशोर लड़कियां (15-19 आयु वर्ग) अपने जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। करीबन 3 बिलियन महिलाएँ वैवाहिक बलात्कार का शिकार होती है। करीब 33 प्रतिशत महिलाओं व लड़कियों को शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। हिंसा की शिकार 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की हत्या उनके परिजनों द्वारा ही की जाती है वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के शिकार लोगों में 50 प्रतिशत वयस्क महिलाएँ है। विश्वभर में लगभग 650 मिलियन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पूर्व हुआ है।

ॅभ्व् की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है।

भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शुमार समाजसेवी व लेखिका हरशिंदर कौर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ (न्छव्) की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि विश्व में सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं बल्कि महिला सांसद भी मानसिक सेक्सुअल कमेंटिंग की शिकार है। विश्व में 85 फीसद महिला संासद इसकी शिकार है। उन्हें दुष्कर्म व जान से मारने तक की धमकियां मिली है।

भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाये गए अभियान के कारण पहचान बना चुकी डॉ कौर के अनुसार विश्व में 35 फीसद महिलाएं शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हो रही है। 70 फीसद महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है। 2017 में विश्वभर में लगभग 87 हजार महिलाओं की हत्या हो गई। इनमे से 58 फीसद को उनके अपने करीब रिश्तेदारों ने ही मौत के घाट उतारा। इस हिसाब से विश्वभर में 137 महिलाओं की हर रोज अपनों द्वारा हत्या की गई। कामकाजी महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षण में 39 फीसद ने माना कि उनके साथ काम वाली जगह पर ज्यादती हुई है।

लंदन की एक एजेंसी थोमसन रायटर्स ने हाल में दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सर्वे किया। थोमसन रायटर्स फाउंडेशन मे सर्वे में 193 देशो को शामिल किया गया था जिनमे महिलाओं के लिए बदतर शीर्ष 10 देशो का चयन किया गया, सूची में भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित किया गया। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और सीरिया दुसरे और तीसरे, सोमालिया चैथे और सऊदी अरब पांचवे स्थान पर है। इस लिस्ट में पाकिस्तान नंबर 6 पर है जबकि एकमात्र पश्चिमी देश अमेरिका का स्थान 10वां है। सर्वे में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा मानव तस्करी और यौन व्यापार में ढकेले जाने के आधार पर भारत को महिलाओं के प्रति खतरनाक बताया गया है।

"कैसी है यह समाज की व्यवस्था,
कोई तो समझे नारियों की अवस्था।"

दुनियाभर में महिलाओं के प्रति हिंसा शोषण एवं उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएँ संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए गंभीर चिंता का मुद्दा है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के उन्मूलन के लिए 25 नवम्बर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने 25 नवम्बर 2019 को जारी अपने सन्देश में कहा कि, "संयुक्त राष्ट्र महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हर तरह की हिंसा को बंद कराने के लिए समर्पित है इस तरह की हिंसा विश्व में सबसे भयंकर, निरंतर और व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनों में शामिल है, जिसका दंश विश्व में हर तीन में से एक महिला को भोगना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि आपके आस-पास कोई न कोई, परिवार का कोई सदस्य, कोई साथी कर्मचारी या कोई मित्र हो सकता है, आप स्वयं इस तरह की हिंसा के शिकार हो सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन हिंसा की जड़ें शताब्दियों से जारी पुरूषों के वर्चस्व में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बलात्कार की संस्कृति को भड़काने वाली जेंडर असमानताएँ वास्तव में सत्ता के असंतुलन से जुड़ी है। कलंक, गलत धारणाएं, कोई सूचना न मिलना और कानून के पालन में कोताही से ऐसी हिंसा करने वाले लोग बच जाते है। बलात्कार का सहारा आज भी युद्ध के भीषण अस्त्र के रूप में किया जा रहा है। इस स्थिति में अब बदलाव लाना ही होगा -- आज ही करना होगा। मैं सरकारों, निजी क्षेत्र, प्रबुद्ध समाज और हर जगह की जनता से आग्रह करती हूँ कि वे यौन हिंसा और महिलाओं के उत्पीड़न के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाएँ। हमें ऐसे उत्पीड़न के शिकार हुए लोगांे, उनकी हिमायतियों और महिला अधिकारों के रक्षकों के साथ अधिक एकजुटता दिखानी चाहिए। मिल-जुलकर हम ऐसा कर सकते है और करना ही चाहिए जिससे बलात्कार और हर प्रकार के यौन उत्पीड़न का अंत किया जा सके।

युएन प्रमुख के इस सन्देश के आधार पर कहा जा सकता है कि-

"जिसने हमें पाला है, हमारा पोषण किया है,
हमने सदा उसका शोषण किया है।"

भारत के संदर्भ मेंः-

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्ठ) की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट, जिसमें वर्ष 2018 के दौरान भारत में घटित विभिन्न आपराधिक वारदातों का विस्तृत ब्यौरा है, के मुताबिक महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध 2016-18 (छब्ठ रिपोर्ट)

महिलाओं के विरूद्ध अपराध 2016-18 (NCRB रिपोर्ट)

वर्ष	2016	2017	2018
महिलाओं के विरूद्ध अपराध के दर्ज कुल मामले	338954	359849	378277

प्रथम तीन राज्य	1. उत्तर प्रदेश (49262 मामले) 2. प. बंगाल (32513 मामले) 3. महाराष्ट्र (31388 मामले)	1. उत्तर प्रदेश (56011 मामले) 2. महाराष्ट्र (31979 मामले) 3. प. बंगाल (30992 मामले)	1. उत्तर प्रदेश (59445 मामले) 2. महाराष्ट्र (35497 मामले) 3. प. बंगाल (30394 मामले)
राजस्थान की स्थिति कुल दर्ज मामले	27422	25993	27866
राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों में स्थान	देश में चौथा स्थान	पाँचवां स्थान	पाँचवां स्थान

NCRB रिपोर्ट में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के दर्ज विभिन्न मामलो में बलात्कार, अपहरण, पति या परिजनों द्वारा उत्पीड़न, महिला की शीलता को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर हमला, हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज हत्या, तेजाब हमला आदि से संबंधित आंकड़ो को शामिल किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दर्ज कुल मामलो में 31.9 प्रतिशत मामले पति या परिवारजनों द्वारा किये गए उत्पीड़नके अंतर्गत दर्ज किये गए हैं। इसके अलावा अपमान के उद्देश्य से किये गए हमले (27.6 प्रतिशत), अपहरण (22.5 प्रतिशत) और बलात्कार (10.3 प्रतिशत) के मामले सामने आए।

NCRB रिपोर्ट से स्पष्ट है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार तीसरे साल भी वृद्धि हुई है। निरंतर तीसरे साल महिलाओं के विरूद्ध अपराध के सबसे अधिक मामले उत्तरप्रदेश में दर्ज किए गए।

राजस्थान भी महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध करने में अग्रणी राज्यों में शुमार रहा है। रिपोर्ट के तहत वर्ष 2018 में भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार के कुल 3356 मामले दर्ज हुए, जो 2017 में दर्ज (32559) की तुलना में बढ़े हैं।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट "हिडेन इन प्लेन साइट" से उजागर हुआ है कि भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 35 फिसदी विवाहित महिलाएं ऐसी है जिन्होने अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 साल से 19 साल तक की उम्र वाली 77 फीसदी महिलाएं कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा यौन संबंध बनाने या अन्य किसी यौन क्रिया में जबरदस्ती का शिकार हुई है इसी तरह 15 से 19 साल की उम्र वाली लगभग 21 फिसदी महिलाएँ 15 साल की उम्र में ही हिंसा का शिकार हुई है। 15 साल से 19 साल के उम्र समूह की 41 फीसदी लड़कियों ने 15 साल की उम्र से ही अपनी माँ या सौतेली माँ के हाथों शरीरिक हिंसा झेली है जबकि 18 फीसदी ने अपने पिता या सौतेले पिता के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है।

देश के कोने-कोने से आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म यौन प्रताड़ना दहेज के लिए जलाया जाना शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों की खरीद फरोख्त के समाचार मीडिया जगत की सुर्खियों में छाए रहते हैं। अभी हाल ही में बहुचर्चित निर्भया कांड 2012 के दोषियों को सात साल बाद फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं हैदराबाद में पशु चिकित्सक की गैंगरेप के बाद हत्या व उसके दोषियों को हैदराबाद पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार गिराने की चर्चा पूरे देश में छाई रही।

"देश में अगर औरत बेआबरू नाशाद है,
दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है।"

कैसे रोका जाए महिलाओ के खिलाफ बढ़ता अपराध?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर किस तरह से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधो पर अंकुश लगाया जाए। सरकार के द्वारा उठाये जा रहे प्रयास नाकाफी सिद्ध हो रहे है इसके लिए समाज के हर एक नागरिक और बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। सिर्फ कानून बनाकर अपराधो पर लगाम नहीं लगायी जा सकती। कानून को लागु करने की प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया में त्वरितता लानी होगी। साथ ही लागो की सोच और मानसिकता में बदलाव लाना अति आवश्यक है।

अब नारी को छोटा और दोयम दर्जे का समझने वाली मनोवृत्ति को बदलने का वक्त आ चुका है। हाल ही के वर्षो में अपराध को छुपाने और अपराधी से डरने की प्रवृति खत्म होने लगी है। वे चाहे 'मी टू' जैसे अभियान से हो या निर्भया कांड के बाद बने कानूनों से।

अन्यायी में अन्याय करने की हिम्मत तब तक रहती है जब तक उसे सहन किया जाए। महिलाओं में इस धारणा को मजबूत करने के लिए न्याय प्रणाली और मानसिकता में मौलिक बदलाव की भी जरूरत है।

आज आधी आबादी पुरूषों से समानता या बराबरी का हक नहीं सम्मानजनक व सुकूनदायक जिन्दगी जीने का हक चाहती है।

भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों जिनमे कहा गया कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" (मनुस्मृति में वर्णित) का पतन हो रहा है तभी तो समाज में देव रूपी मनुष्य न निवास कर दनुज रूपी दरिन्दे बेखौफ घूम रहे हैं। आखिर कब तक पुरूष प्रधान समाज "ढोर, शुद्र, गंवार, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी" (तुलसीदास रचित रामचरितमानस) वाले दोहों के नाम पर नारियों के साथ अत्याचार करता रहेगा?

अब समय आ चुका है कि दुनिया को महिलाओं की मानवीय प्रतिष्ठा के वास्तविक सम्मान के लिए भूमिका प्रशस्त करनी चाहिए। ताकि इस सृष्टि में बलात्कार, गेंगरेप, दहेज हत्या, नारी उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, नारी हिंसा जैसे शब्दों का अस्तित्व खत्म हो जाए।

"क्यों त्याग करे नारी केवल,
क्यों नर दिखलाये झूठा बल,
नारी जो जिद पर आ जाए,
अबला से चंडी बन जाए,
उस पर न करो अत्याचार,
तो सुखी रहेगा घर-संसार।"

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान जगत में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को आँकड़ों सहित प्रस्तुत कर इन अपराधों के कारणों व रोकथाम के आंकड़ों सहित प्रस्तुत कर इन अपराधों के कारणों व रोकथाम के उपायों पर दृष्टिपात करना इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देय है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर रोज विश्वभर में न जाने कितनी महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेकानेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं से दो-दो हाथ करना पड़ता है। भारत ही नहीं वरन् समूचे विश्व में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। यदि समय रहते इसके कारणों पर गौर कर समाधान हेतु समुचित कदम न बढ़ाये गए तो यह दुनिया और यह जीवन नारी नामक प्राणी के लिए नरक बन जाएगा। अतः यदि हम सही मायनों में महिलाओं के प्रति हिंसा से मुक्त विश्व बनाना चाहते हैं तो अब वक्त आ चुका है कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' की भावना को चरितार्थ करते हुए विश्वव्यापी अभियान की शुरूआत करें। क्योंकि:-

"विश्व,देश समाज और परिवार तभी तरक्की करेगा।
जब महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकेगा। "

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट*
2. *प्रभा साक्षी समाचार पत्र, 24 नवम्बर 2019*
3. *उण्ंहतंदण्बवउए 24 जून 2019*
4. *द हिन्दू एडिटोरियल*
5. *नवोदय टाइम्स, 27 जूलाई 2018*
6. *यूएन प्रमुख सन्देया, 25 नवम्बर 2019*
7. *द वायर हिंदी, 16 फरवरी 2019*
8. *प बीवूण्पदए 8 मार्च 2016*